

प्रेषक:

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर
देहरादून।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
उत्तराखण्ड

विषय— शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास इकाई का गठन एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपके पत्र संख्या: 640/रोवर्स- रैंजर्स/2024- 25 दिनांक 31 जुलाई, 2024 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में रेडक्रास पंजीकरण करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में उच्च शिक्षा अनुभाग- 2 का संलग्न शासनादेश संख्या: **235394/XXIV-C-2/2024/10(04)2024-E file No 75752 दिनांक 28 अगस्त, 2024** के द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विविध मद में ली जा रही वार्षिक रू0 100 की धनराशि में से रू0 80 विविध मद में जमा करने तथा शेष धनराशि रू0 20 रेडक्रास मद में जमा करते हुए, उक्त धनराशि रू0 20 में से 10 रू0 महाविद्यालय स्थित यूथ रेडक्रास के खाते में तथा शेष धनराशि रू0 10 भारतीय रेडक्रास समिति के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यूथ रेडक्रास का पंजीकरण निम्नवत् किया जाना है :-

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकृत छात्र/छात्रा का उक्तानुसार विविध शुल्क रू. 100.00 में से 10 रू0 संस्थान के यूथ रेडक्रास खाते में एवं 10 भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड के खाता Indian Red Cross Society, UA, शाखा SBI IT Park Dehradun A/c No- 10901536840 IFSC- SBIN0016121 में जमा किया जाना है।
- संस्थान द्वारा भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://www.redcrossuttarakhand.org> से यूथ रेडक्रास पंजीकरण दिशा-निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन प्रारूप डाउनलोड कर पंजीकरण की कार्यवाही की जानी है।
- शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्यानुसार यूथ रेडक्रास की इकाईया (01 इकाई में 30 सक्रिय एवं स्वेच्छा से यूथ रेडक्रास में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं) का पंजीकरण किया जाना है।

क. छात्र संख्या 250 तक—	01 इकाई का गठन
ख. छात्र संख्या— 251 से 600 तक—	03 इकाई का गठन
ग. छात्र संख्या— 601 से 1000 तक—	05 इकाई का गठन
घ. छात्र संख्या— 1001 से 2000 तक—	07 इकाई का गठन
ड. छात्र संख्या— 2001 से 5000 तक—	10 इकाई का गठन
च. छात्र संख्या— 5001 से 10000 तक—	20 इकाई का गठन
झ. छात्र संख्या— 1001 से अधिक—	25 इकाई का गठन
- महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस की 01 से 03 इकाई पर 01 यूथ रेडक्रॉस प्रभारी व 01 यूथ रेडक्रॉस सह प्रभारी, 04 से 10 पर 01 यूथ रेडक्रॉस प्रभारी व 02 यूथ रेडक्रॉस सह प्रभारी एवं 10 से अधिक इकाई पर 01 यूथ रेडक्रॉस प्रभारी व 04 यूथ रेडक्रॉस सह प्रभारियों को सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा नामित किया जायेगा।

5. संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारूप को पूर्ण रूप से भरते हुए, वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थान को रेडक्रॉस उत्तराखण्ड द्वारा यूथ रेडक्रॉस पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा।
6. यूथ रेडक्रॉस प्रभारी को इकाई में रेडक्रॉस छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु उन्हें राज्य रेडक्रॉस कार्यालय द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा।
7. उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर सम्बन्धित उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यूथ रेडक्रॉस की गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाना है।

कृपया रेडक्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society, Danda Lakhaund Near IT Park, Sahastradhara Road, P.O. Gujrarha, Dehradun, Ph. 0135-2608956, Mob. 9411188121, E-mail: ircsuk2012@gmail.com) से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फस्ट ऐड की ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

संलग्न: उक्तवत्।

भवदीय

/
(डॉ० ए०एस० उनियाल)
संयुक्त निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा
देहरादून

पृ०सं० : 716 (I-IV)/रेडक्रॉस/2024-25 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी महासचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
4. कार्यालय प्रति।

Signed by A S Uniyal

Date: 05-09-2024 15:52:05

(प्र० ए०एस० उनियाल)
संयुक्त निदेशक

संख्या: 235394/XXIV-C-2/2024/10(04)2024-E file No. 75752

प्रेषक,
ब्योमकेश दूबे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 28 अगस्त, 2024

विषय- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विविध मद में ली जा रही धनराशि ₹100/- में से धनराशि ₹20/- रेडकॉस मद में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1529/2024-25, दिनांक 11.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विविध मद में ली जा रही ₹100/- की धनराशि में से ₹80/- विविध मद में जमा करने तथा शेष धनराशि ₹20/- रेडकॉस मद में जमा करते हुये उक्त धनराशि ₹20/- में से ₹10/- महाविद्यालय के खाते में तथा शेष धनराशि ₹10/- को महाविद्यालय द्वारा रेडकॉस सोसाइटी को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालयों में छात्र शुल्क में एकरूपता लाये जाने विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217408/2024, दिनांक 11 जून, 2024 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से विभिन्न क्रियाकलापों (यथा-विकास शुल्क, पत्रिका शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, महाविद्यालय दिवस शुल्क, प्रसाधन शुल्क, विविध आदि) हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है जिसमें विविध मद हेतु ₹100.00 की धनराशि निर्धारित की गयी है।

3- उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों द्वारा विविध मद में ली जा रही वार्षिक ₹100/- की धनराशि में से ₹80/- विविध मद में जमा करने तथा शेष धनराशि ₹20/- रेडकॉस मद में जमा करते हुये उक्त धनराशि ₹20/- में से ₹10/- महाविद्यालय स्थित यूथ रेडकास के खाते में तथा शेष धनराशि ₹10/- को महाविद्यालय द्वारा भारतीय रेडकॉस सोसाइटी के निर्धारित खाते में जमा किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेडकास सोसाइटी से समन्वय स्थापित कर महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को फस्ट ऐड की ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा सफलतापूर्ण ट्रेनिंग प्राप्त छात्र-छात्राओं को

प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

भवदीय,

Signed by Byomkesh Dubey

Date: 28-08-2024 10:31:07

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

संख्या: 235394 /XXIV-C-2/2024/10(04)2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ निजी सचिव-मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. उप सचिव/प्रभारी महासचिव, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
3. उच्च शिक्षा अनुभाग-4
4. गार्ड फाईल।

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।